फा.क्र. 56/ 2015/ चार/ 1908 भोपाल, दिनांक 08-03-2017

प्रति,
कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी
(समस्त) मध्यप्रदेश

विषय: “क्रांति जनशक्ति पार्टी” राजनैतिक दल के पंजीकरण के संबंध में।

संदर्भ: भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्र. 56/98/LET/ECI/FUNC/PP/PPS-1/2013
dिनांक 27.02.2017

कृपया भारत निर्वाचन आयोग के संदर्भित पत्र दिनांक 27.02.2017 (प्रतिलिपि संलग्न) का अवलोकन करें, जिसके द्वारा आयोग ने “क्रांति जनशक्ति पार्टी” पता—1058, यादवपुरा, पुरानी विधानसभा के सामने, बार्ड नंबर 34, जोन नं. 08, तहसील हजूर भोपाल म.प. को राजनैतिक दल के रूप में पंजीकृत करने का बाबत् सूचित किया है।

कृपया राजनैतिक दल की सूची में तदनुसार संशोधन करने का कष्ट करें।

लाल कागज पर ग्राफिक ब्रांडिंग एक्साइल, बेंगलुरु, दिनांक 13/03/2017

संलग्न—उपरोक्तानुसार

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
मध्यप्रदेश
प्रतिलिपि :-

1. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली की ओर उनके पत्र क्र. 56/98/LET/ECI/FUNC/PP/PPS-1/2013 दिनांक 27.02.2017 के संदर्भ में।

2. रिटर्निंग आफिसर, समस्त विधानसभा क्षेत्र, मध्यप्रदेश।

3. समस्त मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

4. सचिव, क्रांति जनशक्ति पार्टी” पता– 1058, यादवपुरा, पुरानी विधानसभा के सामने वार्ड नंबर 34, जोन नं. 08, भोपाल की ओर प्रेषित कर लें जैसे कि आयोग के निर्देश क्र. 76/EE/GE/2014/PPEMS दिनांक 22 अक्टूबर 2014 के प्रकाश में प्रतिवर्ष जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय भोपाल को (अर्थात इस कार्यालय) को भेजें।

5. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला भोपाल की सूचनार्थ। कृपया प्रतिवर्ष सचिव/अध्यक्ष, क्रांति जनशक्ति पार्टी से प्रारूप में जानकारी प्राप्त करें जो जिला के पारंपरिक कार्यालयों के साथ काम करने वाले हो।

(एस.एस.वंशल)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
मध्यप्रदेश
F. No. 56/98/LET/ECI/FUNC/PP/PPS-I/2013

To

The President,

**Kranti Janshakti Party**,  
1058, Yadav Pura, In front of Purani Vidhan Sabha,
Ward No. 34, Zone No. 8,  
Tehsil – Hujur, Bhopal,  
*MADHYA PRADESH.*

Subject: - “Kranti Janshakti Party” – Registration under Section 29A of the Representation of the People Act, 1951, as a political party – Regarding.

Sir,

I am directed to state that the Election Commission of India, after having considered your application dated 13.06.2013 for registration of “Kranti Janshakti Party” as a political party and the documents produced in support of the statements/averments made/contained in the said application and the submissions made by authorized representative(s) of the party before the Commission on 26.02.2015 in respect of the said application and having noted that no objection has been filed by anyone to the registration of the Party under the said name in response to the Public Notice published by the applicant in the newspapers, has registered the “Kranti Janshakti Party” as a political party under Section 29A of the Representation of the People Act, 1951 on and with effect from 15.02.2017.

2. The Registration Number of your party is 56/98/2013-17/PPS-I.

3. As provided in sub-Section (9) of Section 29A of the Representation of the People Act, 1951, the party shall communicate to the Commission without delay any change in its name, head office, office-bearers, address or in any other material matters. The communication of such changes shall be accompanied by the following:

   (i) An authenticated copy of the resolution passed by the competent body prescribed in the party constitution and the full proceedings of the meeting at which the decision of such changes is taken.

   (ii) Names of the office-bearers attending the said meeting.

   (iii) An attested copy of the extract of attendance register bearing signature of participating members in the said meeting.
भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India

फा0 सं0- 56/98/एलबीटी/इसीआई/एफसीएनसी/पीपी/पीपीएस-1/2013
dिनांक: 27 फरवरी, 2017

सेवा में,

अध्यक्ष,

क्रांति जनशक्ति पार्टी,
1058, यादव पुरा, पुरानी विधान सभा के सामने,
वार नं- 34, जोन नं- 8, तहसील - हुजूर,
भोपाल,
मध्य प्रदेश |

विषय:
"क्रांति जनशक्ति पार्टी" - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अधीन राजनैतिक दल के रूप में पंजीकरण के संबंध में।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत निर्वाचन आयोग ने "क्रांति जनशक्ति पार्टी" का राजनैतिक दल के रूप में पंजीकरण करने के लिए आपके दिनांक 13.06.2013 के आवेदन और उक्त आवेदन-पत्र में विवरण प्रवर्तन के संबंध में प्रस्तुत कागजातों और दल के प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों द्वारा उक्त आवेदन के संबंध में दिनांक 26.02.2015 को आयोग के समाधी दी गई प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद तथा यह ध्यान में रख कर कि समाचार पत्रों में आवेदक प्रकाशित पत्रिका में प्रकाशित जानकारी के जवाब में उक्त नाम से पार्टी के पंजीकरण पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29क के अधीन "क्रांति जनशक्ति पार्टी" को दिनांक 15.02.2017 से राजनैतिक दल के रूप में पंजीकृत कर लिया है।

2. आपके दल की पंजीकरण संख्या 56/98/2013-17/एलबीटी/अनु-01 है।
3. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29क की उपधारा (9) में यथा उपबंधित दल के नाम, मुख्यालय, पदाधिकारी, पते या अन्य किसी तात्पर्य नामस्ते में, यदि कोई हो तो, किसी प्रकार के परिवर्तन की सूचना अधिनियम की शीर्ष देगा। इस प्रकार के परिवर्तन की सूचना के निम्नलिखित दस्तावेज़ों के साथ भेजी जाएगी:-
   (i) दल के संविधान में निर्माणी समिति द्वारा पारित किए गए संकल्प तथा उस बैठक का सम्मन विवरण जिसमें ऐसे परिवर्तन/संशोधन का निर्णय लिया गया है, कि एक प्रमाणित प्रति।
   (ii) उपरोक्त बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों के नाम की सूची।
   (iii) उपरोक्त बैठक में उपस्थित रजिस्ट्रेटर का उदरार (extract) जिसमें भाग लेने वाले सदस्यों के हस्ताक्षर हों, की एक प्रमाणित प्रति।

Tel : 011-23052205-18, Fax : 011-23052223-25, Website : www.eci.nic.in
"कोई मतदाता न छोटे"
"No Voter to be left behind"